प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक- 14.09.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆ अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर लाठी डंडे से मारने-पीटने के संबंध में तीन दोषियों को धारा 323 व 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को कुल 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा

पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्तों ने वादी (शिकायतकर्ता) को गाली-गलौज दी और मना करने पर एकजुट होकर उसे लाठी-डंडों से पीटा। वादी का शोर सुनकर जब उसकी माँ और पड़ोसी उसे बचाने आए, तो अभियुक्तों ने उनके साथ भी मारपीट की गई। उक्त प्रकरण में थाना ज्ञानपुर पर धारा 356 व 379 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अभिनव त्यागी* पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय से अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन पक्ष की एपीओ वीरेंद्र वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 14.09.2026 को श्री आशीष कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर द्वारा अभियुक्त 1.पप्पू दूबे उर्फ मनोज दुबे पुत्र पुट्टी दूबे उर्फ राम विशाल दूबे, 2.अनिल दुबे पुत्र लहुरी दूबे 3.माला उर्फ महाबली दूबे पुत्र भैरो दूबे निवासीगण ग्राम डभका थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही को धारा 323 एवं 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का कोई भी भाग अदा न करने पर उसे 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।